न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 88/2024
जीसीएमएस संख्या–2024/132

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 अमराराम पुत्र कन्हैयालाल	1	उकारराम पुत्र बस्ताराम
2 अशोक पुत्र कन्हैयालाल	2	गोरधनराम पुत्र बस्ताराम
3 धर्माराम पुत्र कन्हैयालाल	3	जवरीलाल पुत्र धोकलराम
4 फेफादेवी पत्नी कन्हैयालाल	4	दिनेश टाक पुत्र उंकारराम
5 बंशीलाल पुत्र कन्हैयालाल		जातियान माली निवासीगण गिदावतो का बेरा पीपाड़ शहर
6 भेराराम पुत्र हजारीराम		
7 मैनादेवी पुत्री कन्हैयालाल	5	राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर
8 ममतादेवी पुत्री कन्हैयालाल		
9 मलाराम पुत्र हजारीराम		
10 सुगना पुत्री कन्हैयालाल		
11 संतोष पुत्री कन्हैयालाल		
जातियान माली निवासीगण परिहारो का बेरा पीपाड़ शहर		

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

दर्ज दिनांक 06/05/2024

उपस्थित अधिवक्ता

1. श्री निर्मल कटारिया प्रार्थीगण 1 से 11 की ओर से
2. श्री ऋषि टाक अप्रार्थीगण 1 से 4 की आरे से
3. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी संख्या 05

निर्णय

दिनांकः– 13/11/2025

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पीपाड शहर पटवार क्षेत्र पीपाड शहर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र व तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 2410 क्षेत्रफल 1.3187 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि स्थित है जो राजस्व रेकर्ड में नया खाता संख्या 1272 व पूराना 1196 पर इन्द्राजशुदा है। सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपमोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर प्राथीगण सावणु फसल की बुवाई करते आये है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ मुटाम कायम करवाकर दिवार / तारबंदी करवाना चाहते है लेकिन वादग्रस्त आराजी के पूर्व तरफ अप्रार्थीगण के खेत खसरा नबर 61 स्थित है तथा माठों को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है जिस बाबत् प्रार्थीगण ने विधिवत् रूप से तहसील कार्यालय पीपाड शहर के यहां आवेदन कर वादग्रस्त आराजी का माप चौप कर सीमांकन करवा लिया है लेकिन प्रार्थीगण के खेत के पूर्व तरफ स्थित खेत खसरा नम्बर 61 के खातेदार अप्रार्थीगण तहसील कार्यालय द्वारा किये गये माप चौप को नही मान रहे है तथा प्रार्थीगण के खेत की पूर्व माठ को अपनी भूमि बताते है तथा खुर्द बुर्द करने पर उतारू है इसलिए वादग्रस्त आराजी के मौके पर सीमांकन को लेकर मारी विवाद है। प्रार्थीगण के खेत के अन्य दिशाओं की माठों को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। वादग्रस्त आराजी का नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी / मुण्डागढ़ी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवा देगे एवं मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देगे एंव नियमानुसार कमीश्नर को फीस अदा कर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

गे। अप्रार्थी संख्या पांच को भूमिधारी होने से तरदीदी पक्षकार संयोजित किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम पीपाड शहर पटवार क्षेत्र पीपाड शहर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र व तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 2410 क्षेत्रफल 1.3187 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढ़ी / गुण्डागढ़ी करवाने का तहसीलदार पीपाड शहर को आदेशित फरमायें एव मौके पर अप्रार्थीगण को पत्थरगढी / मुण्डागढी करवायें जाने में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नही करने हेतु पाबंद किया जावे व जरूरत पड़ने पर पुलिस इमदाद के जरिये पत्थरगढी / मुण्डागढ़ी किये जाने के सादर आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता ऋषि टाक ने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र भूमि खसरा नबर 2410 की पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत किया है लेकिन प्रार्थीगण ने खसरा नबंर 2410 के खातेदार स्व. हजारीराम के विधिक वारिशानो को पक्षकार संयोजित नही किया है। स्व हजारीराम पुत्र जवानराम के विधिक वारिशान में प्रार्थीगण के अलावा उनके गिरधारीराम, मुकनाराम के विधिक वारिशान, सोनाराम व पुत्री हरकी है लेकिन प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थनापत्र में पक्षकारो का कुसंयोजन करते हुए न्यायालय को गुमराह करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। उक्त प्रार्थनापत्र में आवश्यक पक्षकारों का संयोजन नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। ग्राम पीपाड शहर पटवार क्षेत्र पीपाड शहर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र व तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 2410 क्षेत्रफल 1.3187 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि अवश्य स्थित है परन्तु उक्त भूमि के पूर्वी तरफ में पिछले करीबन 100 वर्षो से रास्ता विद्यमान है जो रास्ता धुम रास्ता है, उक्त रास्ते से होकर आम नागरिक व अन्य खसरान के खातेंदार अपने गंतव्य स्थान पर आते जाते रहे है।खसरा नबंर 2410 के पूर्वी तरफ मौके पर आम रास्ता विद्यमान है जिसका उपयोग आवागमन हेतु पिछले 100 वर्षों से किया जा रहा है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थनापत्र की आड़ में उक्त रास्तें को अवरोधित करना चाहते है। मौके पर नाप चौप को लेकर कोई विवाद नही है अपितु उक्त खसरा नम्बर 2410 के पूर्वी तरफ मौके पर 100 वर्षों से अधिक समय से रास्ता विद्यमान है जो रास्ता धुम रास्ता है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 23.3.2024 में भी स्पष्ट रूप से खसरा नबर 2410 में रास्ता दर्शित है जो आगे अन्य खसरों में आता जाता है तथा सेटलाईट मैप में भी उक्त रास्ता विद्यमान होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की जमीन बिना समर्पण कियें हुए खसरा नबंर 2410 की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण ने तथ्यों को छिपाते हुए उक्त असद्भाविक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। उक्त खसरा नम्बर 2410 के पूर्वी तरफ मौके पर 100 वर्षों से अधिक समय से रास्ता विद्यमान है जो रास्ता धुम रास्ता है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 23.3.2024 में भी स्पष्ट रूप से खसरा नबंर 2410 में रास्ता दर्शित है जो आगे अन्य खसरों में आता जाता है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा रास्तें की जमीन बिना समर्पण कियें हुए खसरा नबंर 2410 की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थनापत्र की आड में रास्ते को अवरोधित करना चाहतें है इसलिए रास्ते की भूमि बिना समर्पण किए प्रार्थीगण को खसरा नबंर 2410 की पत्थरगढी करवाने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण को खसरा नबंर 2410 में रास्ते की भूमि समर्पण किए बिना पत्थरगढी करवाने का कोई अधिकार नही है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र भारी कोष्ट लगाकर खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 05 तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 2410 का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी आदेश किया जाना है तो कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में निवेदन करते हुए हा कि ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 2410 की भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के ादेश प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थीगण वकील ने यह भी बताया कि ादग्रस्त आराजी प्रार्थी के कब्जासुद भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर क़ाश्त करता आ रहा है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब के बिन्दुओं को पुनः दौहराते हुए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा संख्या 2410 की भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। बाद पैमाइश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 13/11/2025 को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार हो

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर